



The Bihar State Madarsa Education Board Act, 1991

Act No. 7 of 1991

Amendment appended: 6 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

**अल्पसंख्यक आयोग
अधिनियम
1991**

**बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
पुराना सचिवालय, पटना**

प्रस्तावना

अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 का हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ आम लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा इस अधिनियम का प्राधिकृत उर्दू पाठ तैयार होते ही उसे भी प्रकाशित किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं में भी अधिनियम की प्रतियां प्रकाशित करायी जाएं।

अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद विशेष तौर पर आयोग के प्रति अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। यही कारण है, आयोग को प्राप्त होनेवाली सूचनाओं तथा शिकायत-पत्रों की संख्या में भी प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।

आयोग ने अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों की परिधि में यथासंभव प्रत्येक मामले में कारगर कदम उठाने की कोशिश की है। आयोग के प्रयासों से कई जटिल एवं वर्षों से लंबित मामलों का न्यायोचित निपटारा किया जा सका है। कई महत्वपूर्ण मामलों में आयोग के परामर्श से राज्य सरकार ने सार्वजनिक हित और न्याय के आधार पर फैसले किए हैं।

परन्तु आयोग की अपनी सीमाएं भी हैं। आयोग किसी निवाचित सरकार का विकल्प नहीं है और न इसके हाथों में अपनी अनुशंसाओं के अंतिम कार्यान्वयन की कार्यपालक शक्तियां हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी आयोग को ऐसी शक्तियां दी भी नहीं जा सकतीं। ऐसी शक्तियों की चाहत रखना भी आत्मघाती है।

हम आयोग को कानूनी अधिकार देने तथा कार्यपालिका स्तर पर इसकी सिफारिशों को प्रभावी आयाम देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आयोग के कार्यों में उनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी हमारी प्रेरणा का आधार है।

विधि विभाग

अधिसूचना संख्या एल. जी. 1-038/91 लेज-359

दिनांक 12 अगस्त, 1991

बिहार विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल 11 अगस्त, 1991 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

(बिहार अधिनियम 7, 1991)

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991

राज्य के धार्मिक एवं भाषाई अल्प-संख्यकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने, उनसे संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के कायान्वयन, अन्वेषण एवं अन्य संबंधित विषयों के लिये एक आयोग की नियुक्ति और उसके कार्यों-कर्तव्यों के प्रावधान हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—

- (1) यह अधिनियम बिहार राज्य अल्प-संख्यक आयोग अधिनियम, 1991 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषा—इस अधिनियम में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) “आयोग” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत गठित बिहार राज्य अल्प-संख्यक आयोग;
- (ख) “सरकार” से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (ग) “अल्प-संख्यकों” से अभिप्रेत है बिहार राज्य में रहनेवाले धार्मिक एवं भाषाई अल्प-संख्यक वर्ग के लोग, जिन्हें सरकार ने ऐसे अल्प-संख्यक होने की मान्यता प्रदान की हो;
- (घ) “विहित” से अभिप्रेत है इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों द्वारा विहित;
- (ङ) “लोक सेवक” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित खंडों के अन्तर्गत आता है, यथा—

- (i) कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य के क्रिया-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त हो;
- (ii) कोई ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित किसी प्राधिकार की सेवा में हो या उससे वेतन प्राप्त करता हो—
 - (क) राज्य का कोई स्थानीय प्राधिकार जो सरकारी गजट में अधिसूचित हो;
 - (ख) राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या निगम जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो;
 - (ग) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 या सोसाइटी निबंधन अधिनियम, 1860 के अधीन निबंधित कोई सोसाइटी जो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो और राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में इस निमित्त अधिसूचित हो;
 - (घ) “राज्य” से अभिप्रेत है बिहार राज्य।

3. आयोग का मुख्यालय—(1) आयोग का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा।

(2) सरकार राज्य में आयोग का एक या इससे अधिक कायलिय राज्य के किसी स्थान पर स्थापित कर सकेगी।

4. आयोग का गठन—(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्य-रूप देने के लिये सरकार एक आयोग का गठन करेगी जो बिहार राज्य अल्प-संख्यक आयोग कहलायेगा।

(2) आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

5. आयोग की पदावधि—आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में मनोनीत किसी व्यक्ति की पदावधि उसके पद भार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की होगी :

परन्तु यह कि (क) आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य स्वहस्ताक्षरित लिखित रूप में सरकार को संबोधित कर अपना पदत्याग कर सकेगा।

(ख) यदि किसी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अयोग्य हो गया है या कदाचार अथवा कर्तव्यविहीनता या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है, जिसके कारण जनहित में आयोग

से उसे हटाना आवश्यक हो गया है, तो राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा उसे उस पद से हटा सकेगी।

6. आयोग के कार्य—(1) आयोग के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

- (क) राज्य के अल्प-संख्यकों की सुरक्षा के लिए भारत संविधान में एवं राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधियों में उपबंधित विभिन्न सुरक्षाओं के कार्यकरण की जाँच करना;
- (ख) उप-खंड (क) में यथाउल्लेखित ऐसी सुरक्षाओं और विधियों के प्रभावी कायान्वयन और प्रवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुशंसाएं करना;
- (ग) राज्य के अल्प-संख्यकों के कल्याण हेतु राज्य सरकार की नीतियों और परियोजनाओं के कायान्वयन की समीक्षा करना;
- (घ) राज्य के अल्प-संख्यकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये अध्ययन, शोध, विश्लेषण तथा अनुशंसाएं करना;
- (ङ) ऐसी अनुशंसा करना, जो राज्य के अल्प-संख्यकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक और समुचित समझी जाये;
- (च) राज्य में साम्प्रदायिक सद्भावना सुरक्षित, बहाल एवं प्रोत्साहित करने के लिये अनुशंसा करना;
- (छ) सरकार को विहित अन्तराल पर आवधिक रिपोर्ट भेजना।

(2) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना निकाल कर, राज्य के अल्प-संख्यकों के कल्याण और उनकी शिकायतों के निराकरण के संबंध में आयोग को ऐसे अतिरिक्त कार्य सीप सकेगी, जैसा कि समय-समय पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय।

7. आयोग की हैसियत और परिलक्षियाँ—सरकार आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों को ऐसी हैसियत प्रदान करेगी और ऐसे वेतन-भत्ते का भुगतान करेगी तथा ऐसी अन्य सुविधाएं मंजूर करेगी जैसा कि समय-समय पर विहित किया जाय।

8. अन्वेषण का अधिकार—आयोग को व्यवित्रित किसी संस्था द्वारा परिवाद के जरिये या किसी अन्य विश्वस्त स्रोत से उसकी जानकारी में लाये गये निम्नलिखित मामलों की जाँच करने का अधिकार होगा—

- (क) भारतीय संविधान या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधियों द्वारा अल्प-संख्यकों को दिये गये किसी अधिकार और सुरक्षा का उल्लंघन;

(ख) किसी अल्प-संख्यक समुदाय के पूजा-स्थल तथा कब्रगाह का अधिक्रमण;

(ग) ऐसी परिस्थिति या और कारण जो विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच घृणा या संघर्ष का बातावरण उत्पन्न करे, ऐसी स्थिति पैदा करने का कारण बने या लगे कि ऐसी स्थिति पैदा करेगा और;

(घ) राज्य के अल्प-संख्यकों के कल्याण, संरक्षण एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कोई अन्य मामला :

परन्तु आयोग किसी ऐसे मामले का अन्वेषण नहीं करेगा, जो किसी न्यायालय या अधिकरण या अर्द्ध-न्यायिक निकाय के समक्ष लम्बित हो।

9. अन्वेषण की प्रक्रिया—(1) यदि आयोग इस अधिनियम के अधीन जांच करने का प्रस्ताव करे तो वह—

(क) परिवाद की एक प्रतिलिपि या उसका सारांश संबद्ध प्राधिकारी, विभाग या लोक सेवक को भेजेगा और परिवाद में दिये गये विवरणों के संबंध में उसकी रिपोर्ट या मन्तव्य विनिर्दिष्ट समय के भीतर मांगेगा;

(ख) संबंधित स्थान पर व्यक्ति या संस्था एवं संबंधित व्यक्तियों के साथ परिवादित मसले पर विचार-विमर्श हेतु आयोग या इसके किसी सदस्य के साथ बैठक नियत एवं आयोजित करेगा।

(2) यथा पूर्वोक्त के सिवाय किसी निश्चित मामले की जांच करने की प्रक्रिया वही रहेगी जैसा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम में विहित है।

(3) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण प्रारम्भ हो जाने से उस कार्रवाई पर या अन्वेषणाधीन मामले के संबंध में आगे कार्रवाई करने में लोक सेवक बाधित नहीं होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनार्थ आयोग किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में अन्वेषण से सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने या दस्तावेज पेश करने के योग्य हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी जानकारी प्रस्तुत करे या ऐसे दस्तावेज की प्रति पेश करे;

परन्तु वैसे दस्तावेज की प्रति की आपूर्ति नहीं की जायेगी जो राज्य

हित या जनहित के विरुद्ध हो।

(5) आयोग को निम्नलिखित विषयों के बारे में शक्तियाँ होंगी :—

(क) किसी भी व्यक्ति को आह्वान करे एवं उसे शपथ पर परीक्षा करे, वैसे व्यक्ति द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने या सदेह उपस्थित होने के मामले में आयोग के निर्देश की अवज्ञा करने पर, वह व्यक्ति आयोग की अनुशंसा पर सरकार द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई का उत्तरदायी होगा;

(ख) किसी कायलिय से किसी सरकारी अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;

(ग) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन बहाल करना;

(घ) अन्य ऐसे विषय, जो विहित किये जायें।

(6) किये जाने वाले अन्वेषण के स्वरूप और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि सरकार की यह राय हो कि जांच कमीशन अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा 2 या 3 या 4 अथवा 5 के सभी या कोई भी उपबंध आयोग पर लागू किया जाय तो सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगी कि सभी या उक्त उपबंध, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, आयोग पर लागू होगा और ऐसी अधिसूचना के निर्गत होने पर, उपबंध तदनुसार लागू होगे।

10. एजेंसियों की सेवाओं के उपयोग करने की शक्ति—आयोग, इस अधिनियम के अधीन, अन्वेषण संचालित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार की पूर्व सहमति से राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी या राज्य सरकार के अन्वेषी एजेंसी की सेवा का उपयोग कर सकेगा।

11. आयोग को दिया गया बयान—आयोग, धारा 10 में यथाउपबंधित पदाधिकारी या एजेंसी के समक्ष साक्ष्य देने के क्रम में आयोग को किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये बयान का उपयोग उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी कार्यवाही में नहीं किया जा सकेगा और न ही इस बयान के आधार पर उसके विरुद्ध किसी प्रकार की दीवानी या फौजदारी कार्यवाही की जा सकेगी, किन्तु ऐसे बयान द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिये अभियोजन चलाया जा सकेगा।

12. परिचाण—इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्य या आयोग के अधिकार के अधीन दी गयी किसी रिपोर्ट या कार्यवाही के लिये आयोग या इसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति, जो

आयोग के निदेशानुसार कार्य कर रहा हो, के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जायेगी।

13. रिक्तियों का भरा जाना या आयोग के गठन के परिवर्तन—(1) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी भी सदस्य के पद त्याग के कारण या अन्यथा हुई किसी रिक्ति के होने पर भी आयोग कार्य करता रहेगा।

(2) सरकार किसी प्रक्रम में ऐसी रिक्ति भर सकेगी, जो आयोग में हुई हो।

(3) जहाँ आयोग के कार्यरत रहने के दौरान भरी गयी किसी रिक्ति के कारण या किसी अन्य कारण से आयोग के गठन में कोई परिवर्तन हुआ हो, वहाँ उस परिवर्तन के कारण आयोग द्वारा पहले से किये गये किसी अन्वेषण, कार्यवाही या कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. अध्यक्ष आदि लोक सेवक होंगे—आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या हर सदस्य अथवा हर पदाधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत हो, भारतीय दंड-संहिता 45, 1860 की धारा 21 के अर्थात् अर्थात् लोक सेवक समझा जायगा।

15. आयोग की प्रक्रिया—इस निमित्त बनाये जाने वाले नियमों के अध्यधीन आयोग को अपनी प्रक्रिया, जिसमें बैठकों के स्थान एवं समय निर्धारण भी शामिल हैं, विनियमित करने का अधिकार होगा।

16. आयोग का स्टाफ—(1) सरकार के प्रशासनिक विभाग के सचिव या सरकार द्वारा मनोनीत कोई पदाधिकारी जो उप-सचिव से नीचे स्तर का न हो आयोग का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(2) सरकार आयोग को एसा अन्य स्टाफ उपलब्ध करायेगी जैसा आयोग के सुचारू संचालन के लिए अपेक्षित हो।

17. रिपोर्ट का उपस्थापन—(1) आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के बारे में प्रति वर्ष एक समेकित रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) आयोग अपने विवेक के अनुसार सार्वजनिक महत्व के किसी विषय के सम्बन्ध में समय-समय पर अपनी विशेष रिपोर्ट सरकार को देगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट या उप-धारा (2) के अधीन विशेष रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार व्याख्यात्मक सलेख के साथ उसकी प्रतिलिपि राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवायेगी।

18. नियम बनाने की शक्ति—(1) सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबंध किया जा सकेगा;

(क) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत का निर्धारण;

(ख) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य को देय वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलिङ्गियों तथा सेवा-शर्तों का निर्धारण;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जा सकता है या जिसके बारे में इस अधिनियम में कोई उपबंध है और सरकार की राय में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए उपबंध करना आवश्यक है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल चौदह दिनों की अवधि तक रखा जायेगा जो चाहे एक ही सत्र में पूरी हो या लगातार दो सत्रों में और यदि जिस सत्र में वह इस प्रकार रखा गया हो, उसके या उसके ठीक बाद वाले सत्र की समाप्ति के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने में सहमत हो जायें या दोनों सदन इसके लिये सहमत हो जायें कि वह नियम बनाया ही न जाय तदुपरान्त वह नियम यथास्थिति ऐसे उपांतरण रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी ही न होगा फिर किसी उपांतरण या वातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।





बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 फाल्गुन 1945 (श०)

(सं० पटना 253) पटना, बृहस्पतिवार, 14 मार्च 2024

विधि विभाग

अधिसूचना

14 मार्च 2024

सं० एल०जी०-०१-०२/2024-1989 / लेज |—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 14 मार्च, 2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव (प्र०)।

(बिहार अधिनियम 06,2024)

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 7,1991) को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और ऐसे अधिकारों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 अस्तित्व में है,

जबकि मौजूदा अधिनियम में सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के रूप में परिभाषित किया है एवं मान्यता प्रदान की गयी है।

जबकि बिहार राज्य में मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक के अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे— इसाई, बौद्ध, जैन, सिख और कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी बिहार में निवास करते हैं, जो बिहार जाति आधारित गणना 2022–23 में प्रतिवेदित हैं।

जबकि अनुभव से यह प्रतीत होता है कि धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के कई विषयों को प्रभावी ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है।

जबकि सभी अल्पसंख्यकों, धार्मिक एवं भाषायी संबंधित मुद्दों/विषय को बेहतर ढंग से परिभाषित करने के लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को पुर्नव्यवस्थित एवं पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस की गयी है।

अतएव भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:—

(1) यह अधिनियम बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिनियम बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से तुरंत लागू होगा।

2. बिहार अधिनियम 7,1991 की धारा 4 में संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा

(2) के बाद निम्नलिखित उपधारा (3) इस संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने के तिथि से जोड़ी जायेगी :—

(3)(i) वर्तमान में प्रभावी अधिनियम की धारा (4) के तहत गठित आयोग विघटित हो जायेगा।

(ii) इस अधिनियम की धारा (4) के अन्तर्गत गठित आयोग के विघटित होने के उपरान्त राज्य सरकार आयोग के दैनिक कार्य—कलाप हेतु एक प्रशासक नियुक्त करेगी जो सरकार के सचिव से अन्यून स्तर का होगा।

(iii) राज्य सरकार प्रशासक को अधिसूचना/संकल्प/परामर्श निर्गत कर सकेगी एवं प्रशासक पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देश/संकल्प/परामर्श बाध्यकारी होगा।

3. बिहार अधिनियम 7, 1991 की धारा 5 में संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा— 5 में निम्नलिखित उप-धारा (ग) जोड़ी जायेगी:—

(ग) अधिनियम की धारा 5 में आयोग के निर्धारित कार्यकाल के बावजूद, राज्य सरकार के पास किसी भी समय आयोग को भंग करने की शक्ति होगी यदि वह संतुष्ट है कि विघटन बृहद सार्वजनिक हित में है, जिससे आयोग के कार्यकलाप को अधिनियम के लक्ष्य एवं उद्देश्य के अनुरूप सुचारू बनाया जा सके एवं बिहार के सभी धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक निवासी के अधिकार एवं कल्याण को प्रोत्साहित किया जा सके।

4. बिहार अधिनियम 7,1991 में धारा 19 का जोड़ना।—उक्त अधिनियम की धारा 18 के बाद निम्नलिखित नई धारा 19 जोड़ी जायेगी :—

19 (i) अंतर काल के दौरान किये जाने वाले उपाय— आयोग के विघटन के उपरान्त राज्य सरकार पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी जो बिहार जाति आधारित गणना 2022–23 में एकत्रित एवं विश्लेषित आँकड़ों का अध्ययन कर अल्पसंख्यकों की पहचान करते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेगी। विभाग उक्त प्रतिवेदन तैयार करने में विभिन्न धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नामित कर सकता है।

(ii) अध्ययन पूरा होने पर राज्य सरकार सभी धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के संबंधित मुद्दों/विषयों को समेकित रूप से परिभाषित करने हेतु नीतियाँ बनायेगी।

(iii) उप धारा— (i) और (ii) में उल्लेखित कार्य को अधिकतम एक माह में पूरा किया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त उप-धारा— (iii) में निहित एक माह के प्रावधान के पूरा होने पर राज्य सरकार अधिनियम की धारा— 4 के तहत आयोग के विघटन से अधिकतम दो माह के भीतर इसका गठन करेगी।

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव (प्र०)।

14 मार्च 2024

सं० एल०जी०-०१-०२/२०२४-१९९० /लेज |—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2024 को अनुमत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-३४८ के खंड (३) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव (प्र०)।

[Bihar Act 06, 2024]

The Bihar State MINORITIES COMMISSION (Amendment) Act, 2024

AN Act

to amend the Bihar State Minorities Act , 1991

(Bihar Act, 7, 1991)

Whereas, with a view to protect rights of minorities conferred under the Constitution of India and for implementation of policies and programmes relating to such rights, in the State of Bihar, an enactment known as Bihar State Minorities Commission Act, 1991 is in existence.

Whereas, in the existing Act, minorities have been defined to mean religious and linguistic minorities, who have been so recognized by the Government.

Whereas, in the State of Bihar apart from pre-dominant Muslim Minority, there are other minorities such as Christian, Baudh, Jain, Sikh and some other minorities also reside in Bihar, Which is reported in the Bihar Caste based survey 2022-23.

Whereas, experience has proved that many of religious and linguistic minority's issues have not been addressed effectively.

Whereas, it is felt imperative to re-organize and re-structure Bihar State Minorities Commission to address the issues relating to all minorities, religious and linguistic, in a holistic manner.

Now, therefore, the legislature of State of Bihar enacts the following Act, in 75th year of republic as follows:-

1. Short title, extent and commencement.-

- (1) This Act may be called Bihar State Minorities Commission (Amendment) Act, 2024.
- (2) This Act shall extend to the whole State of Bihar.
- (3) This Act shall come into force immediately on publication in Bihar gazette.

2. Amendment in section 4 of Bihar Act 7, 1991.- After Sub-section (2) in Section 4 following Sub-section (3) shall be added with effect from the date this Amendment Act comes into force.

- (3) (i) The Commission constituted in exercise of power under Section 4 of the existing Act shall stand dissolved.
- (ii) On dissolution of the Commission constituted under Section 4, the State Government shall appoint Administrator who shall be an officer not below the rank of Secretary to the Government, for discharge of day to day functions of the Commission.
- (iii) The State Government may issue direction by Notifications/ Resolutions/ Advisory to the Administrator who shall be bound by such direction/ resolution/ advisory issued by the State Government.

3. Amendment in section 5 of Bihar Act 7, 1991.- Sub Section 'c' shall be added in the section '5' of the said Act :-

(c) Notwithstanding, tenure prescribed in the section 5, of the Act, the State Government shall have the power to dissolve the commission anytime if it is satisfied that dissolution is in the larger public interest to make the functioning of the commission consistent with the aims and object of the Act and in furtherance of rights and welfare of all religious and linguistic minority habitant of State of Bihar.

4. **Addition of section 19 in Bihar Act 7, 1991.**- A new section 19 shall be added after section 18 of the said act:-

- 19 (i) Measures to be taken during interregnum: After dissolution of the Commission, the State Government shall constitute a committee of experts comprising of five members to study and make recommendations to the Department of Minorities Welfare regarding identifying minorities based on data collected and analyzed in the Bihar Caste based survey, 2022-23 and to submit a comprehensive report to the department. For the purpose of preparation of report the department may nominate people from different religious and linguistic minorities.
- (ii) On completion of the study, the State Government will frame policies for holistically addressing the issues in relation to all religious and linguistic minorities.
- (iii) Above exercise contained in Sub-section (i) and (ii) shall be completed within a maximum period of one month.
- (iv) On completion of one month as provided in Sub-section (iii) above, the State Government shall constitute a Commission under Section 4 of the existing Act within a maximum period of two months from its dissolution.

Jyotiswaroop Srivastava,
I/C Secretary to the Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 253-571+400-३०८०८०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>